"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 270] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 जुलाई 2016— आषाढ़ 10, शक 1938

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 जून 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-26/2004/(6)52. — छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्र. 16 सन् 1978) की धारा 7 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड सेवा भर्ती नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में :-

1. अनुसूची तीन में, शब्द "विहित शैक्षणिक योग्यता" जहां कहीं भी आया हो के स्थान पर, शब्द "विहित शैक्षणिक अर्हता" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. अनुसूची तीन के सरल क्रमांक 6 "स्टेनोग्राफर" की विहित शैक्षणिक अर्हता से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था/शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) मुद्रलेखन परिषद् से :-

(क) **शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिए**-शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी).

(ख) **शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिए**-अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी).

(ग) **द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए**-ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अनुसार हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी).

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की 10,000 (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी).

3. अनुसूची तीन में, सहायक ग्रेड-3, जहां कहीं भी आएं हों, की विहित शैक्षणिक अर्हता से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र.

(3) हिन्दी कम्प्यूटर टाईप लेखन में 5,000 (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)."

No. F 1-26/2004/(6)52. — In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 7 of the Chhattisgarh Khadi Tatha Gramodyog Adhiniyam, 1978 (No. 16 of 1978), the Chhattisgarh Khadi Tatha Gramodyog Board, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Khadi Tatha Gramodyog Board, Service Recruitment Rule, 2006, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. In Suhedule-3, for the words "Colification" and "Califiction respectively, the words "Prescribed education qualification "shall be substituted.

2. For the entries relating to the prescribed educational qualification of the serial number 6 "Stenographer" of the Schedule-3, the following shall be subtsituted, namely :-

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed Old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) From any recognized Board/Institute/Stenography (Shorthand) Typing Council :-

(a) **For Stenographer (Hindi)** - Passed Hindi Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).

(b) **For Stenographer (English)** - Passed English Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).

(c) **For Bilingual Stenographer** - Passed Certificate Course of Hindi and English Stenography (Shorthand) as specified in clause (a) and (b) above and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).

(3) One year Diploma/certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognised institute and speed of data entry 10,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).

3. For the entries relating to the prescribed educational qualification of Assistant Grade-III of Schedule-3, wherever it occurs, the following substituted, namely :-

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed Old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) One year Diploma/certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognised institute.

(3) In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.